फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 27.09.2024

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 120/2024 धारा 305/317(2)/316(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र सिंह** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय कुमार** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज **श्री जय सिंह** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-120/2024 धारा- 305/317(2)/316(2) बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. तनवीर उर्फ शिवा पुत्र वाहिद शब्बीर निवासी सहादतनगर थाना पिहानी जनपद हरदोई मूल पता- ग्राम गुर्री चौकी, थाना रोजा जनपद शाहजहापुर।

2. सौकीन पुत्र अच्छन मोहल्ला प्यास कस्वा व थाना सिरोली जनपद बरेली।

3. अबरास उर्फ लालू पुत्र शौकीन मोहल्ला प्यास कस्वा व थाना सिरोली जनपद बरेली।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- वादी मुकदमा श्री कुलदीप पुत्र जवहार लाल निवासी सिकन्दरपुर खास थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ ने थाना कम्पिल पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 11-08-2024 रात्रि में वादी के घर से अभियुक्तगण द्वारा वाउन्ड्री वाल के सहारे घर के अंदर आकर सामान व पैसे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कम्पिल पर दिनांक 12.08.2024 को मु0अ0सं0-120/2024 धारा-305/316(2) बीएनएस बनाम वाइस्तवा सोभी ठाकुर पुत्र नामालूम व 03 अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:- प्रकाश में आये अभियुक्तगण ने बताया कि साहब हम गांव में सामान बेचने के बहाने से फैरी लगाते है व रैकी करते है। गावं से बने एकान्त मकानो को चिन्हित करते है व चोरी की घटना को अन्जाम देते है। हम लोगो का निवास एक जगह का 15-20 दिन से अधिक नही रहता है। और हम लोगो का मुख्य उद्देश्य घुम-घुमकर चोरी करने से अपना जीवन यापन करते है। दिनांक 11-08-2024 को रात्रि में थाना कम्पिल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिकन्दरपुर खास में गांव के बाहर बने एक मकान में हम लोगो ने चोरी की थी। चोरी किये गये सामान व रुपयो में से ज्यादातर गहने हम लोग पहले ही आने-जाने वाले राहगीरों को ओने-पोने दाम में बेच चुके है। एक मोबाइल भी चोरी किया था जो हम लोगों ने रास्ते में फेक दिया था। जो गहने व पैसे हम लोगो के पास है उसी चोरी के है जो बच गये थे। बचे हुए गहने को हम लोग बेचने के लिए वाहन की तलाश में बैठे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 जोड़ी टॉप्स पीली धातु,
2. 01 मंगलसूत्र पीली धातु
3. 02 जोडी पायल सफेद धातु
4. 2600 रूपये

अभियुक्त तनवीर उर्फ शिवा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 120/2024 धारा 305/317(2)/316(2) बीएनएस थाना कम्पिल।
2. मु0अ0सं0 926/2011 धारा 302 भादवि थाना सिरौली जनपद बरेली।
3. मु0अ0सं0 142/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना सेरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत।
4. मु0अ0सं0 152/22 धारा 34/399/402/411 भादवि थाना सेरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत।
5. मु0अ0स0 153/22 धारा 307/34 भादवि थाना सेरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत।
6. मु0अ0सं0 155/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत।
7. मु0अ0सं0 213/24 धारा 331(8)/305(क)/317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज।

अभियुक्त सौकीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 120/2024 धारा 305/317(2)/316(2) बीएनएस थाना कम्पिल

अभियुक्त अबरास उर्फ लालू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 120/2024 धारा 305/317(2)/316(2) बीएनएस थाना कम्पिल

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उ0नि0 रामलखन
2. हे0का0 इशरार अहमद
3. का0 विपिन भाटी
4. का0 सुमित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0- 27.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. अवनीश पुत्र अर्जुन सिंह 2. अर्जुन सिंह पुत्र श्रीराम 3. गिरीश पुत्र दयाराम नि0गण - गदनपुर देवराजपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद 4. मनोज कुमार पुत्र राजेश्वर दयाल निवासी नौखण्डा थाना को0 फतेहगढ जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 0078/2020 वाद स0- 819/2020 धारा- 302,307 भा0द0वि0 थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 27.09.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे- प्रथम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।**

ADGC - श्रीमती दीपिका कटियार

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 प्रमोद कुमार

पैरोकार का0 संजीव कुमार